


## जिला रेशम कार्यालय राजगढ़ म.प्र.

“सूचना के अधिकार – 2005 से संबंधी जानकारी”

विभाग का नाम :- जिला प्रमुख कार्यालय जिला रेशम अधिकारी राजगढ़ (म.प्र.)

बिन्दू क्र. 1 (अ) संरचनात्मक ढांचा



**बिन्दु क, 1 (ब) :-**

**कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के कार्य/दायित्व :-**

1. **लेखाशाखा** :- इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं योजनाओं पर किये गये कार्य व्ययों का सम्पूर्ण लेखा संधारित करना एवं आहरण तथा वितरण का सम्पूर्ण लेखा विधिवत पंजियों एवं नस्तियों में संकलित रखा जाना।
2. **स्थापना शाखा** :- जिले अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों का सेवा संबंधी अभिलेखों का संकलन, सेवा संबंधी वेतन, भत्तों एवं दावों का निराकरण। समस्त स्थापना सेवा के कार्य।
3. **तकनीकी शाखा** :- योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी तकनीकी नियम निर्देशों का संकलन एवं संबंधितों को निर्देशन दिया जाना। उद्यान संधारण/कृमिपालन/कोया उत्पादन/धागाकरण एवं प्रशिक्षण आदि की समस्त जानकारीयों का संकलन एवं प्रेषण। प्रगति प्रतिवेदनों का संकलन एवं प्रेषण।
4. **आवक/जावक शाखा** :- आवक शाखा अन्तर्गत समस्त प्राप्त पत्रों का पंजी में प्रविष्टि एवं अधिकारी की टीप अनुसार संबंधित शाखा को प्रदान करना। जावक शाखा अंतर्गत समस्त प्रेषण किये जाने वाले पत्रों का पंजी में प्रविष्टि कर डाक का वितरण करना एवं जावक लेखा संधारित करना।

बिन्दु क्रमांक –(2) :-  
तथा

कार्यालय मे पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम/कर्तव्य

परिलब्धियों :-

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	परिलब्धियाँ	कर्तव्य
1	श्रीमति वंदना फिलिप्स	उप संचालक रेशम	40212/-	जिला प्रमुख के समस्त प्रशासकीय एवं कार्यपालन दायित्व ।

**बिन्दु क्रमांक –(3) :-** कार्यालय मे अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक)  
:-

नस्ती संधारण शाखा	स्वीकृत कर्ता एवं निर्णय कर्ता अधिकारी
<p>संबंधित शाखा प्रभारी :- नस्ती</p> <p>खोलना, टीप अंकित कर निर्णय</p> <p>हेतु प्रस्तुत करना।</p>	<p>उप संचा लक रेशम द्वारा निर्ण य अंकित</p> <p>→</p> <p>कर ना।</p>

बिन्दु क्रमांक –(4) :-

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जायें। यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हों तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर दी जाये। ताकि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदण्ड लागू हो सके।

“

विभागीय कार्यप्रक्रिया निर्देश एवं विभागीय मैन्युअल अनुसार कार्य निर्धारित किये जाते है।”

**बिन्दु क्रमांक –(5) :-**

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा  
उपलब्ध अधिनियम, नियम,

रेगुलेशन, मैनुअल की सूची

निम्नानुसार है –

1. मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली
2. मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1  
एवं भाग-2
3. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता
4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण  
नियम
5. विभागीय मैनुअल ।

**बिन्दु क्रमांक –(6) :-** कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची

तथा उसका वर्गीकरण।

कार्यालय अंतर्गत शाखा अनुसार निम्न अभिलेख संधारित है –

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. लेखा शाखा :-            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विभागीय रोकड़ पंजी</li> <li>2. बजट नियंत्रण पंजी</li> <li>3. बिल रजिस्टर</li> <li>4. बी. टी. आर.</li> <li>5. विभिन्न ऋण/अग्रिम पंजियों</li> </ol>  |
| (यथा त्योंहार अग्रिम/ अनाज | <p>अग्रिम/मोटर सायकल<br/>अग्रिम/सा.भ.नि. अग्रिम<br/>आदि)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. जड़ स्कंध पंजी</li> <li>7. सामान्य स्टॉक पंजी</li> <li>8. पी. ओ. एल. पंजी</li> <li>9. चैक/ड्राफ्ट पंजी</li> <li>10. एम.पी.टी.सी. – 6 पावती।<br/>बिल, कैश व्हाऊचर<br/>नस्तियाँ।</li> </ol> |
| 2. स्थापना शाखा :-         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वेतन वृद्धि पंजी</li> <li>2. वर्दी प्रदाय पंजी</li> <li>3. कर्मचारी अनुसार सेवा</li> </ol>   |
| अभिलेख पंजी                | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. स्थापना कर्मचारी बायाडाटा</li> <li>5. अवकाश पंजी/नस्ती</li> </ol>  |
| पंजी                       |  |
| 3. तकनीकी शाखा :-          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कृमिपालन कार्य पंजी</li> <li>2. स्वस्थ समूह पंजी</li> <li>3. फसल परिणाम पंजी</li> </ol>  |

4. ककून उत्पादन पंजी
5. नर्सरी पौधरोपण पंजी
6. चक्रीय राशि पंजी
7. स्व-सहायता समूह पंजी
8. सृजित रोजगार पंजी

4. सामान्य /सिल्क फेडरेशन कक्ष :-

1. विधान सभा प्रश्न/उत्तर पंजी
2. चोरी, हानि एवं गबन पंजी
3. सिल्क फेडरेशन प्रगति प्रतिवेदन नस्ती
4. मिनी आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्रतिवेदन नस्ती
5. रीलिंग इकाई संचालन प्रगति प्रतिवेदन नस्ती
6. सूचना का अधिकार पंजी
7. जन शिकायत निवारण पंजी
8. निरीक्षण रोस्टर पंजी

**बिन्दु क्रमांक –(7) :-** ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जन प्रतिनिधि है,

उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम,आदेश क्रमांक, निर्माण संबंधी

सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जानी है।

“जिला कार्यालय स्तर पर समिति का गठन नहीं है।”

**बिन्दु क्रमांक –(8) :-** कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों

के नाम एवं अर्हता गठन संबंधी आदेश चार्टर/अनुबंध से संबंधी

जानकारी , बैठक आहत करने संबंधी शासन के निर्देश , आम नागरिक

की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी

दी जाये।

“जिला स्तरीय कार्यालय होने से जानकारी निरंक है।”

**बिन्दु क्रमांक –(9 व 10) :-** कार्यालय मे कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन तथा उन्हे प्राप्त होने वाली सुविधाओं का विवरण निम्न अनुसार सूची मे प्रस्तुत है –

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	परिलब्धियाँ वेतन+भत्ते	कर्तव्य
1	श्रीमति वंदना फिलिप्स	उप संचालक रेशम	40212 / -	कार्यालय प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी
2	श्री व्ही.एस. अमलावदिया	फील्ड ऑफीसर	25055 / -	केन्द्र प्रभारी संचालक / नियंत्रण
3	श्री आर.एस. अहिरवार	फील्ड ऑफीसर	28907 / -	केन्द्र प्रभारी संचालक / नियंत्रण
4	श्री जी.के. स्वर्णकार	फील्ड ऑफीसर	29775 / -	केन्द्र प्रभारी संचालक / नियंत्रण
5	श्री एस.पी. दोंगी	फील्ड ऑफीसर	26505 / -	मिनी आई.टी.आई. / रीलिंग संचालन
6	श्री एच.एस. अरोरा	फील्ड ऑफीसर	24662 / -	केन्द्र प्रभारी संचालक / नियंत्रण
7	श्री शकरलाल पटल्या	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	16358 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ, संचालक / नियंत्रण
8	श्री वी.एस. कुम्हरे	कनिष्ठ रेशम निरीक्षण	16635 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ, संचालक / नियंत्रण
9	श्री ए.के. वामन	कनिष्ठ रेशम निरीक्षण	15550 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ, संचालक / नियंत्रण
10	श्री दिलीप जैन	प्रदर्शक	14795 / -	मिनी आई.टी.आई. अधिनस्थ, संचालक / नियंत्रण
11	श्री राजेश परिहार	प्रदर्शक	13714 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ संचालक / नियंत्रण
12	श्री एन.एस. दीपक	फील्डमेन	16140 / -	केन्द्र प्रभारी संचालक / नियंत्रण
13	श्री श्यामलाल परतेती	फील्डमेन	12942 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ संचालक / नियंत्रण
14	श्री कैलाश बैरागी	फील्डमेन	12742 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ संचालक / नियंत्रण
15	श्री करणसिंह किरार	फील्डमेन	14366 / -	केन्द्र प्रभारी अधिनस्थ संचालक / नियंत्रण
16	श्री नारायण सिंह	आप्रेटिव्ह	12415 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
17	श्री तुलसीराम	आप्रेटिव्ह	11680 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
18	श्री ओमप्रकाश आर्य	आप्रेटिव्ह	11680 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
19	श्री दिनेश गौड	आप्रेटिव्ह	11680 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
20	श्री चन्द्रशेखर राठौर	आप्रेटिव्ह	11127 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
21	श्री सालीगराम झोले	आप्रेटिव्ह	11870 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
22	श्रीमति कृष्णाबाई लोधी	आप्रेटिव्ह	10021 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
23	श्री हरिकिशन मेहर	आप्रेटिव्ह	10322 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
24	श्री दिनेश नगारची	आप्रेटिव्ह	10499 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
25	श्री गोपाल शर्मा	आप्रेटिव्ह	11125 / -	उद्यान / कृमिपालन सहायक
26	श्री रामलाल धूलाजी	आप्रेटिव्ह	11680 / -	रीलिंग संचालक
27	श्री शरीफ खॉन		10171 / -	रीलिंग संचालक
28	श्री शिरीष गौसावी	सहायक ग्रेड-दो	16926 / -	लेखा / केश कक्ष प्रभारी
29	श्री मभुरालाल परिहार	सहायक ग्रेड-दो	16508 / -	स्थापना कक्ष प्रभारी
30	श्री पी.एल. पानेरी	सहायक ग्रेड-दो	16225 / -	सामान्य / सिल्क फेडरेशन प्रभारी
31	श्री छतरसिंह सिसोदिया	वाहन चालक	14605 / -	वाहन चालक
32	श्री मोहनलाल मालवीय	भृत्य	11065 / -	कार्यालयीन कार्य
33	श्री विक्रम सिंह सुनेल	भृत्य	10372 / -	कार्यालयीन कार्य

बिन्दु क्रमांक –(11) :- कार्याल के लिये वर्ष अनुसार मदवार,  
आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी  
जानकारी –

क्र	बजट शीर्ष	मांग संख्या/योजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2851 / 107	56 / 3778 (नॉन प्लान)	2010–11	37.31	6.03
2	2851 / 107	56 / 2304 (नॉन प्लान)	2010–11	13.40	1.86
3	2851 / 107	56 / 3777 (नॉन प्लान)	2010–11	16.31	2.82
4	2851 / 107	56 / 3394 (नॉन प्लान)	2010–11	1.75	0.10
5	2851 / 107	56 / 5852 (प्लान)	2010–11	1.08	0.47
6	2851 / 107	74 / 3394 (नॉन प्लान)	2010–11	6.44	1.05
7	2851 / 107	64 / 3777 (प्लान)	2010–11	1.79	5.49
8	4851 / 107	64 / 8808 (प्लान)	2010–11	0.30	0.08

**बिन्दु क्रमांक –(12) :- (अ) मलबरी स्वावलंबन योजना :-**

इस योजना के अंतर्गत केन्द्र के

शहतूत पौधरोपण क्षेत्र (एक एकड़) का स्व भोगाधिकार चयनीत हितग्राहियों को दिया जाता है। निःशुल्क तकनीकी सहायता/निर्देशन पर हितग्राही द्वारा उद्यान संधारण, कृमिपालन कार्य से ककून उत्पादन किया जाता है तथा उत्पादित ककून विभाग द्वारा ककून बैंक के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर हितग्राही को लाभान्वित किया जाता है।

उपरोक्त कार्य हेतु उन्हे आर्थिक सहायता अंतर्गत प्रति हितग्राही राशि रु. 6200/- चक्रीय राशि के रूप में अग्रिम सुविधा प्रदाय की जाती है जो उनके द्वारा उत्पादित ककून के मूल्य से समायोजन योग्य होती है।

**(ब) मलबरी विस्तार योजना (केन्द्र)**

:- केन्द्र के रिक्त क्षेत्र में उपरोक्त (अ) अनुसार शहतूत पौधरोपण कराया जाकर अतिरिक्त हितग्राहियों का चयन एवं योजना का विस्तार करना । शेष सहायता एवं सुविधा बिन्दु (अ) अनुसार।

**(स) मलबरी विस्तार योजना (निजी क्षेत्र) :-**

इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के कृषक हितग्राहियों की स्वयं की आधा अथवा एक एवं पाँच एकड़ सिंचित भूमि में शहतूत

पौधरोपण कराया जाता है तथा विभाग द्वारा समस्त कृमिपालन के लिये पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कृषको को शहतूती पौधरोपण की भूमि के आधार पर प्रतिमाह निम्नानुसार सुविधायें/सहायता उपलब्ध कराई जाती है –

1. कृमिपालन कृषको को 40 दिवस का प्रशिक्षण तथा 250 रु. प्रतिमाह शिष्यावृत्ति।
2. रु. 1750/- मूल्य के टूल किट्स निःशुल्क प्रदाय।
3. ड्रिप सिंचाई पद्धति के लिये 90 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत एक अनुदान।
4. भवन निर्माण (कृमिपालन हेतु) रु. 20000/- से 100000/- तक अनुदान (वर्ग अनुसार)।

**(द) मिनी आई.टी.आई. अंतर्गत प्रशिक्षण :-** संस्था द्वारा 40 महिला हितग्राहियों को रु. 500/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा स्वयं के द्वारा बुनाई लूम हेतु शासन की अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अनुदान प्राप्त किया जा सकता है तथा संस्था द्वारा स्वयं भी वस्त्र निर्माण पर रोजगार दिया जाता है।

**(इ) रीलिंग इकाई द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार :-** सिल्क फेडरेशन ककून बैंक की रीलिंग इकाई प्रतिवर्ष 25 हितग्राहियों को

रेशम धागा रीलिंग एवं टिवस्टींग के माध्यम से प्रशिक्षित एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें प्रतिकिलो रेशम धागे पर रु. 275/- का पारितोषिक दिया जाता है।

**बिन्दु क्रमांक –(12) :-**

**(C) विस्तृत जानकारी :-**

क्र	कार्यक्रम का नाम	प्रशासनिक विभाग	वर्ष	वित्तीय प्रावधान	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	मलबरी स्वावलंबन (केन्द्र)	रेशम संचालनालय / सहायक संचालक	2010-11	6.44	106
2	मलबरी विस्तार (निजी क्षेत्र)	रेशम संचालनालय / सहायक संचालक	2010-11	—	—
3	मिनी आई.टी.आई.	रेशम संचालनालय / सहायक संचालक	2010-11	1.08	40
4	रीलिंग इकाई सारंगपुर	रेशम संचालनालय / सहायक संचालक	2010-11	1.40	25

**बिन्दु क्रमांक –(13) :- वास्तविक हितग्राहियों की सूची एवं उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी –**

क्र	छूट की प्रकृति	हितग्राही का नाम	पता	वर्ष	सहायता के प्रकार	छूट का अनुमानित मूल्य
1	उपकरण /	रामप्यारी बाई	रेशम केन्द्र सागपुर	20010-2011	चक्रीय राशि एवं चॉकी कृमिपालन कार्य।	रु. 650/- प्रति 100 स्वस्थ समूह के चॉकी कृमिपालन के मान से छूट दी जाती है एवं ककून
2	निरोगीकरण	रामकला बाई	रेशम केन्द्र सागपुर			
3	सामग्री /	जानीबाई	रेशम केन्द्र सागपुर			
4	स्वस्थ	राजल बाई	रेशम केन्द्र सागपुर			
5	समूह /	चमेली बाई	रेशम केन्द्र गनियारी			

6	तकनीकी	सुमित्रा बाई	रेशम केन्द्र गनियारी		कय रु.90-150/- प्रतिकिलो की दर से कय किया जाता है।
7	सहायता	कलाबाई	रेशम केन्द्र गनियारी		
8	बिजली /	सुन्दर बाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
9	पानी आदि	ननीबाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
10	निःशुल्क	ग्यारसी बाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
11	उपलब्ध	कलाबाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
12	कराये जाते	नोरंगबाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
13	है।	संतोष बाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
14		जशोदाबाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
15		गुड्डीबाई	रेशम केन्द्र खुजनेर		
16		लीलाबाई	रेशम केन्द्र मोहन		
17		कमलाबाई	रेशम केन्द्र मोहन		
18		रतनबाई	रेशम केन्द्र मोहन		
19		लीला बाई	रेशम केन्द्र मोहन		
20		गुलाबबाई	रेशम केन्द्र मोहन		
21		सुशीलाबाई	रेशम केन्द्र लीमाचौहान		
22		रेशमबाई	रेशम केन्द्र लीमाचौहान		
23		रामूबाई	रेशम केन्द्र लीमाचौहान		
24		सुगनबाई	रेशम केन्द्र सादनखेडी		
25		दुर्गाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
26		शांतिबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
27		राजूबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
28		कौशल्याबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
29		सुगनबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
30		कमलाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
31		कृष्णाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
32		रामकुंवर	रेशम केन्द्र जयनगर		
33		तेजकुंवर	रेशम केन्द्र जयनगर		
34		यशोदाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
35		उमरावबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
36		रेशम बाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
37		सजनबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		

क	छूट की प्रकृति	हितग्राही का नाम	पता	वर्ष	सहायता के प्रकार	छूट का अनुमानित मूल्य
38	उपकरण /	पार्वतीबाई	रेशम केन्द्र जयनगर	20010- 2011	चक्रीय	रु. 425/- प्रति
39	निरोगीकरण	केसरबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		राशि एवं	100 स्वस्थ समूह
40	सामग्री /	सुगनबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		चौकी	के चौकी कृमिपालन

41	स्वस्थ	लीलाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर	कृमिपालन कार्य।	के मान से छूट दी जाती है एवं ककून क्रय रू. 90–150 / प्रतिकिलो की दर से क्रय किया जाता हैं।
42	समूह /	सुन्दरबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
43	तकनीकी	सनुबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
44	सहायता	श्यामाबाई	रेशम केन्द्र जयनगर		
45	बिजली /	अन्तरबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
46	पानी आदि	काशीबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
47	निःशुल्क	देवबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
48	उपलब्ध	निर्मलाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
49	कराये	कृष्णाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
50	जाते है।	कमलाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
51		गीताबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
52		रेशम बाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
53		धापूबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
54		ललताबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
55		राजूबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
56		भूरीबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
57		अन्जूबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
58		अनीता	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
59		मानोबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
60		पवित्रा	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
61		ममता	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
62		मनीषा	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
63		भंवरीबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
64		मुन्नीबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
65		कृष्णाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
66		शारदाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
67		जमनाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
68		दरियावबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		
69		भगवतीबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा		

क्र	छूट की प्रकृति	हितग्राही का नाम	पता	वर्ष	सहायता के प्रकार	छूट का अनुमानित मूल्य
70		पवित्रा बाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा	2010-11		
71		राजूबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा			
72		रेखाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा			
73		ललिताबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा			
74		अवन्तिकाबाई	रेशम केन्द्र गोपालपुरा			

**बिन्दु क्रमांक –(13) "अ" :-**

क्र	छूट की प्रकृति	हितग्राही का नाम	पता	वर्ष	सहायता के प्रकार	छूट का अनुमानित मूल्य
1	रेशम	गंगाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर	2010-11	शासकीय	रु.275/- प्रति किलो रेशम धागा उत्पादन पर पारिश्रमिक दिया जाता है।
2	धागाकरण	रजनीबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
3	उत्पादन पर	ममता बाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
4	हितग्राहियों	कृष्णाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
5	को	पिंकीबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
6	पारिश्रमिक	कृष्णाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
7	रु. 175/-	यासीन	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
8	के साथ रु.	अन्नूबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
9	100/- का	सरस्वतीबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
10	राज्यांश एवं	संतोषबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
11	केंद्रांश मद	मनीषाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
12	रु.	कांशीबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
13	अनुदान दिया जाता है।	संतोषबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			

छूट की प्रकृति	हितग्राही का नाम	पता	वर्ष	सहायता के प्रकार	छूट का अनुमानित मूल्य
	ईमलबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर	2010–11		
	कविताबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	श्यामाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	अंजली	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	ममताबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	दुर्गाबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	ज्योतिबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	संतोषबाई	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	अमित	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	निर्भय	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	कांतिलाल	धागाकरण इकाई सारंगपुर			
	मनोहर	धागाकरण इकाई सारंगपुर			

**बिन्दु क्रमांक-(14) :-**

कार्यालय मे उपलब्ध जानकारियों की सूची जिला रेशम कार्यालय राजगढ़ के अन्तर्गत निम्न जानकारियों उपलब्ध है।

क्रमांक	श्रेणी	हार्डकापी	इलेक्ट्रॉनिक फार्म
1	संकलित योजनाओं का संकलन/समन्वय एवं प्रेषण (तकनीकी विभाग)	1. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों के रूप।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		2. संचालन सेवाधिनियम/निर्देश पंजियों एवं नस्तीयों के रूप में।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		3. प्रशिक्षण/कार्यशाला एवं सम्मेलनों के माध्यम से (कार्य विवरणीका) (पंजी एवं नस्तीयों)	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		4. उद्यान कार्य /कृमिपालन एवं ककून उत्पादन/रेशम धागा उत्पादन से लाभान्वित हितग्राही की जानकारी। पंजियों एवं नस्तीयों द्वारा।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
	नोट :- बिन्दु क्रमांक पंजियों तथा नस्तियों	6 में उल्लेखित समस्त कार्यो अभिलेखो का रिकार्ड में उपलब्ध है।	कार्यालय में
2.	बजट एवं लेखा प्रभाग	1. प्राप्त बजट एवं व्यय का लेखा बजट नियंत्रण पंजी, रोकड बही, बिल रजिस्टर में लि अनुसार मासिक एवं वर्ष वार संधारण। पंजियों एवं नस्तियों में अद्यतन रिकार्ड उपलब्ध	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		2. अंकेक्षण-महालेखाकार/विभाग प्रमुख एवं कोष एवं लेखा (नस्तियां संधारित)।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		3. शासकीय कर्मचारियों को ऋण । अग्रिम प्रदाय विवरण एवं पुनः प्राप्ति संधारण पंजियां एवं नस्तियों के अद्यतन उपलब्ध।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		4. आहरण एवं वितरण हेतु देयक द्वारा जारी आदेश/परिपत्र की जानकारी हेतु नस्ती संधारित।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		5. म.प्र. शासन/विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र की जानकारी हेतु नस्ती संधारित।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
	नोट :- बिन्दु क्रमांक में उपलब्ध है।	6 में उल्लेखित सभी अभिलेखो का रिकार्ड पंजियों	तथा नस्तियों

3	सामान्य एवं सिल्क फेडरेशन प्रभाग	1. विधान सभा प्रश्न, सूचना का अधिकार, जन शिकायत निवारण शिविर की जानकारी यथा आवश्यक पंजियों में एवं नस्तियों में संधारित	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		2. सिल्क फेडरेशन अंतर्गत ककून बैंक रीलिंग इकाई अंतर्गत उत्पादन विक्रय-क्रय संबंधी जानकारी पंजी एवं नस्तियों में संधारित ।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		3. सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यप्रक्रिया निर्देशों का संबंधितों को विवरण एवं उसका अनुपालन नस्ति संधारित ।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
	नोट :- बिन्दु क्रमां संधारित ।	क 6 में उल्लेखित समस्त रिकार्ड अद्यतन नस्ति	बद्ध एवं पंजियों में
4	स्थापना प्रभाग	1. समस्त कार्यरत कर्मचारियों के सेवा अभिलेख सूचीबद्ध नियम अनुसार अद्यतन संधारित । नस्तियां उपलब्ध ।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		2. वेतन वृद्धि विवरण पंजी संधारित ।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
		3. अवकाश लेखा सेवा अभिलेख एवं पंजियां संधारित ।	निरंक (उपलब्ध नहीं)
	नोट :- बिन्दु क्रमां संधारित ।	क 6 में उल्लेखित समस्त रिकार्ड अद्यतन नस्ति	बद्ध एवं पंजियों में

बिन्दु क्रमांक –(15) :-

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाओं

जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउंटर आदि।

“विभाग की योजनाओं की गतिविधियों की जानकारी नोटस, पम्प्लेटस एवं लघु पुस्तकों के रूप में कार्यालय में उपलब्ध।

आम नागरिक इनका उपयोग एवं अध्ययन निःशुल्क कर सकता

है।”

बिन्दु क्रमांक –(16) :- लोक सूचना अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है –

- ❖ नाम :- श्रीमति वंदना फिलिप्स
- ❖ पद :- उप संचालक रेशम
- ❖ दूरभाष क्रमांक :- 07372–254918
- ❖ कार्य स्थल एवं पता :- जिला रेशम कार्यालय राजगढ़  
पुराना कलेक्टर कार्यालय परिसर राजगढ़ म.प्र.
- ❖ जनता से मिलने हेतु अवधि :- प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक।

बिन्दु क्रमांक –(17) :- अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो।

– निरंक